फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर

भैरूलाल बनाम औकार वगै0

मुकदमा संख्या : 71/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन कि पत्रावली में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.02.23 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक ताफैसला कन्फर्म किया जावें। जिससे वादांकित भूमि किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही हो सके। वकील अप्रार्थी सं0 1, 5, 8, 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादांकित भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी मनबट अनुसार 40 वर्ष पूर्व ही बाट कर उसी अनुसार काबित काश्त चले आ रहे है। उसी अनुसार कब्जे को मध्य नजर रखते हुए विभाजन किया जाना आवश्यक है। वाद कारण उत्पन्न करने हेतु असत्य तथ्य अंकित किये है जबकि वास्तविकता यह कि वादी ने कभी अप्रार्थीगण को आपसी सहमति से पैमाईश करवाने के लिये नही कहा और ना ही दिनांक 27.01.2023 को अप्रार्थीगण ने धमकी दी प्रार्थी ने उक्त मद मे कतई आधारहीन है वादकारण के अभाव मे काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादांकित भूमि पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को खारिज किया जावें। पत्रावली को अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि वादांकित भूमि के संबंध में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.02.2023 द्वारा अप्रार्थीगणों को मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति से पाबन्द किया गया है। अतः उक्त स्थगन आदेश से उभय पक्षों को पाबन्द करना उचित समझते है। अतः पत्रावली में वादांकित भूमि के संबंध मे उभय पक्षों को पूर्व में जारी स्थगन से ताफैसला पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर

भैरूलाल बनाम औकार वगै०

दमा संख्या : 71/2023

ा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन कि पत्रावली में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.02.23 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक ताफैसला कन्फर्म किया जावें। जिससे वादांकित भूमि किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही हो सके। वकील अप्रार्थी सं0 1, 5, 8, 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादांकित भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी मनबट अनुसार 40 वर्ष पूर्व ही बाट कर उसी अनुसार काबित काश्त चले आ रहे है। उसी अनुसार कब्जे को मध्य नजर रखते हुए विभाजन किया जाना आवश्यक है। वाद कारण उत्पन्न करने हेतु असत्य तथ्य अंकित किये है जबकि वास्तविकता यह कि वादी ने कभी अप्रार्थीगण को आपसी सहमति से पैमाईश करवाने के लिये नही कहा और ना ही दिनांक 27.01.2023 को अप्रार्थीगण ने धमकी दी प्रार्थी ने उक्त मद मे कतई आधारहीन है वादकारण के अभाव मे काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादांकित भूमि पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को खारिज किया जावें। पत्रावली को अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि वादांकित भूमि के संबंध में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.02.2023 द्वारा अप्रार्थीगणों को मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति से पाबन्द किया गया है। अतः उक्त स्थगन आदेश से उभय पक्षों को पाबन्द करना उचित समझते है। अतः पत्रावली में वादांकित भूमि के संबंध मे उभय पक्षों को पूर्व में जारी स्थगन से पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों। उपखण्ड अधिकारी ... जयपुर युक्त ता फैसला	

Scanned with OKEN Scanner